



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस. मार्ग, फोर्ट, मुंबई- 400 001
Department of Communication, Central Office, S.B.S. Marg, Fort, Mumbai- 400 001
फोन/Phone: 022 - 2266 0502



30 जून 2022

भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर
(सितंबर 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए)

केंद्र सरकार की नकदी की स्थिति की समीक्षा के पश्चात, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सितंबर 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम के लिए निम्नानुसार राशियां अधिसूचित करने का निर्णय लिया है:

| खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (01 जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2022) | | | | | |
|--|----------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | | (₹ करोड़) |
| नीलामी की तारीख | निर्गम तारीख | 91 दिवसीय | 182 दिवसीय | 364 दिवसीय | कुल |
| 6 जुलाई 2022 | 7 जुलाई 2022 | 9,000 | 7,000 | 5,000 | 21,000 |
| 13 जुलाई 2022 | 14 जुलाई 2022 | 9,000 | 7,000 | 5,000 | 21,000 |
| 20 जुलाई 2022 | 21 जुलाई 2022 | 9,000 | 7,000 | 5,000 | 21,000 |
| 27 जुलाई 2022 | 28 जुलाई 2022 | 9,000 | 7,000 | 5,000 | 21,000 |
| 3 अगस्त 2022 | 4 अगस्त 2022 | 9,000 | 7,000 | 5,000 | 21,000 |
| 10 अगस्त 2022 | 11 अगस्त 2022 | 9,000 | 7,000 | 5,000 | 21,000 |
| 17 अगस्त 2022 | 18 अगस्त 2022 | 9,000 | 7,000 | 5,000 | 21,000 |
| 24 अगस्त 2022 | 25 अगस्त 2022 | 9,000 | 7,000 | 5,000 | 21,000 |
| 30 अगस्त 2022 | 1 सितंबर 2022 | 9,000 | 7,000 | 5,000 | 21,000 |
| 7 सितंबर 2022 | 8 सितंबर 2022 | 9,000 | 7,000 | 5,000 | 21,000 |
| 14 सितंबर 2022 | 15 सितंबर 2022 | 9,000 | 7,000 | 5,000 | 21,000 |
| 21 सितंबर 2022 | 22 सितंबर 2022 | 9,000 | 7,000 | 5,000 | 21,000 |
| 28 सितंबर 2022 | 29 सितंबर 2022 | 9,000 | 7,000 | 5,000 | 21,000 |
| कुल | | 1,17,000 | 91,000 | 65,000 | 2,73,000 |

2. भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास, भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर खज़ाना बिलों की अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाजार को उचित सूचना देने के बाद संशोधन करने की छूट होगी। इस तरह, यदि बीच में पड़ने वाली छुट्टियों के कारणों सहित ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई परिवर्तन होगा तो उसे प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

3. खज़ाना बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा [27 मार्च 2018 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना सं. एफ4\(2\)-डब्ल्यूएंडएम/2018](#) में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/449

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक